उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
F-76156 गोमती नगर, लखनऊ 29-3-16

संदर्भ संख्या /सी–1/एन0ओ0सी/जी–1069/2016. 04 दिनाँक

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स डी0 बी0 एफ0 इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0,
द्वारा श्री देवेन्द्र सिंग,
गृही, गुलघर, देहली मेरठ रोड,
गाजियाबाद।

विषय : **मैसर्स डी0 बी0 एफ0 इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजना " देव हाईट्स" खसरा नं0 1140 तथा 1142, ग्राम डासना, एन0 एच0 24, जिला–गाजियाबाद की स्थापनार्थ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक–30/9/2015 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि परियोजना को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामन्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतगर्त सशर्त स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति) प्रदान की जाती है:–

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) परियोजना स्थल:–	डी0 बी0 एफ इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 में प्रस्तावित प्ररियोजना "देव हाइट्स" खसरा नं0 1140 तथा 1142, ग्राम डासना, परगना डासना, एन0 एच0 24, गाजियाबाद।
(ख) परियोजना का विवरण:–	भूखण्ड क्षेत्रफल 5683.29 वर्ग मी0, बिल्टअप एरिया 13161.22 वर्ग मीटर पर आवासीय परियोजना निर्माण किया जायेगा।
(ग) मुख्य कच्चे माल : –	बिल्डिंग मैटेरियल, आदि
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा:–	शून्य
घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:–	110 कि0 ली0/दिन
(ड.) प्रयुक्त ईंधन :–	डी0 जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

2. परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. परियोजना का सचालन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु परियोजना का सचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. परियोजना में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण सुनियोजित किया जाये।
5. मै० डी० बी० एफ० इन्फास्ट्रक्चर प्रा० लि० में प्रस्तावित परियोजना देव हाइट्स खसरा नं० 1140 तथा 1142, ग्राम डासना, परगना डासना, एच० एच० 24, गाजियाबाद में आवासीय परियोजना का भूखण्ड क्षेत्रफल 5683.29 वर्ग मीटर, बिल्टअप एरिया 13161.22 वर्गमीटर वर्गमीटर पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जायेगा।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 130 घन० मीटर/दिन क्षमता का एस०टी०पी० स्थापित किया जाये। प्रस्तावित एस० टी० पी० स्थल के चारों ओर पर्याप्त चौडाई की ग्रीन बेल्ट, गंधरोधी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण सुनिश्चित किया जायेगा।
7. शुद्धिकृत उत्प्रवाह के भण्डारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा शुद्विकरण उत्प्रवाह को यथा सम्भव पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि की सिचाई एवं अन्य कार्यो हेतु टाउनशिप में प्रयोग कर शून्य उत्प्रवाह निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी०सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित किया जायेगा।
9. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम०एस०डब्ल्यू० रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
10. परियोजना के विकास के दौनान विभिन्न कान्सट्रक्शन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कच्चे माल की लोडिंग/अन लोडिंग, जनरेटर्स आदि के संचालन से उत्पन्न होने वाले सम्भावित धूल/गैसीय उत्सर्जन/ध्वनि/मृदा/जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना में वर्णित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि परियोजना की स्थापना के दौरान आस–पास के क्षेत्र में प्रदूषण की संमस्या की सम्भावना न रहे।

Scanned by CamScanner

11. म्युनिसीपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जायेगा।
12. समस्त प्रस्तावित डी0जी0सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित किया जायेगा।
13. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से भूगर्भ जल दोहन हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
14. परियोजना के अन्तगर्त सम्मलित भूमि से होकर विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किया जायेगा।
15. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य किया जाये एवं सक्षम विभाग यथा अग्निशमन विभाग आदि से भी आवश्यक अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
16. एस0 टी0 पी0 से जनित ठोस अपव्यय का प्रयोग बायोकम्पोस्टिंग के लिए किया जायेगा।
17. परियोजना में सौर ऊर्जा चालित प्रकाश व्यवस्था का वैकल्पिक प्रयोग अधिकाधिक स्थलों पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. एस0 टी0 पी0 के संचालन की अवस्था को सुनिश्चित किये जाने डी0 जी0 सेट में कनेक्शन दिया जाये एवं पृथक एनर्जी मीटर स्थापित करें तथा उनकी लागिंग नियमित रखी जायेगी।
19. इकाई से जनित हैजार्डस वेस्ट, सालिड वेस्ट, ई–वेस्ट आदि का सेग्रिगेशन स्त्रोत पर ही किया जाये तथा भण्डारण एवं निस्तारण हैजार्डस रूल्स, म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट रूल्स ई–वेस्ट रूल्स के अनुसार ही किया जायेगा।
20. इकाई में निमार्ण के दौरान जनित उत्सर्जको के नियंत्रण हेतु तथा घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु उचित प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।
21. परियोजना में प्रस्तावानुसार एवं यथा संभव खाली स्थलों पर हरितपट्टिका का विकास किया जाना अनिवार्य है।
22. डी0 जी0 सेट से जनित निष्प्रयोज्य लुब्रीकेण्ट आयल को बोर्ड से अधिकृत (प्राधिकार प्राप्त) रिसाइक्लर को देंना सुनिश्चित किया जायेगा
23. आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हेतु सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध करें एवं उक्त के सम्बन्ध में सक्षम विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
24. इकाई द्वारा सौर्य प्रकाश से भवन के आन्तिरिक स्थानों को प्रकाशमय रखे जाने के प्रयोजनार्थ स्ट्रेचरल डिजाइन रखते हये वार्षिक ऊर्जा सम्परिक्षण आख्या लेखाबद्व किया जायेगा।
25. निर्माण के दौरान धूल उत्सर्जक से प्रदूषण के रोकथाम हेतु वाटर स्प्रिकलिंग की उचित व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जायेगें तथा निर्माण के दौरान प्रस्ताव उचित पर्यावरणीय प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

26. इकाई से प्रस्तावानुसार तथा आवश्यकता के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचांजिंग की स्थापना आवश्यकता के अनुरूप किय जायेगा।

27. परियोजना की स्थापना के बाद संचाल/उपभोग की अवस्था से पूर्व बोर्ड से सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

28. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 नं0 21/2014 में दिनॉक 10/04/15 को आवासीय परियोजनाओं के संबंध में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

29. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

30. इकाई द्वारा बैंक गारण्टी संख्या 00801 जीपीईआर 000916 दिनांक 22/2/2016 में उल्लिखित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करे। शर्तो का अनुपालन न करने की दशा में प्राप्त बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में परियोजना द्वारा इस कार्यालय में **30.06.2016** तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एस0 सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि :क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

अग्रवाल/–

Scanned by CamScanner